

निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई, वैशाली, बेगूसराय एवं सीतामढ़ी जिलों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त परन्तु असंचालित बालूघाटों के संबंध में दिनांक— 03.06.2026 को मध्याह्न 12.00 बजे VC के माध्यम से संपन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति—VC के माध्यम से।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

➤ भोजपुर:—

- i. बालूघाट संख्या भोज सोन-29C का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2026 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।
- ii. बालूघाट संख्या भोज सोन-29A का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2026 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।
- iii. बालूघाट संख्या भोज सोन-26C का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2026 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।
- iv. बालूघाट संख्या भोज सोन-30A का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27.03.2026 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।
- v. बालूघाट संख्या भोज सोन-13 का पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।

➤ अरवल:—

- i. बालूघाट संख्या अरवल सोन-7 का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04.02.2026 को प्राप्त है तथा CTO प्राप्त है परंतु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
- ii. बालूघाट संख्या अरवल सोन-8 का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06.03.2026 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित है, किन्तु CTO प्राप्त नहीं हुआ है।
- iii. बालूघाट संख्या यूनिट-3 का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06.03.2026 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित है, किन्तु CTO प्राप्त नहीं हुआ है।

- iv. बालूघाट संख्या अरवल सोन-10 का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27.03.2026 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।

➤ औरंगाबाद:-

- i. बालूघाट संख्या औरंगाबाद सोन-03B का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22.10.2025 को प्राप्त है तथा CTO दिनांक- 22.01.2026 को प्राप्त है परंतु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
- ii. बालूघाट संख्या औरंगाबाद सोन-02B का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2026 को प्राप्त है तथा CTO दिनांक- 26.01.2026 को प्राप्त है परंतु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
- iii. बालूघाट संख्या औरंगाबाद सोन-01C का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2026 को प्राप्त है तथा CTO दिनांक- 15.04.2026 को प्राप्त है परंतु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
- iv. बालूघाट संख्या औरंगाबाद सोन-13A का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2026 को प्राप्त है। CTO के लिए दिनांक- 02.06.2026 को आवेदन समर्पित है, किन्तु CTO प्राप्त नहीं हुआ है।
- v. बालूघाट संख्या औरंगाबाद सोन-28C का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2026 को प्राप्त है तथा CTO प्राप्त है परंतु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
- vi. बालूघाट संख्या औरंगाबाद MoEF सोन- 05F का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27.03.2026 को प्राप्त है तथा CTO प्राप्त है परंतु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
- vii. बालूघाट संख्या औरंगाबाद सोन-14A का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.05.2026 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।
- viii. बालूघाट संख्या औरंगाबाद सोन-8 का पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।

➤ रोहतास:-

- i. बालूघाट संख्या रोहतास सोना ब्लॉक-12 का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 24.03.2026 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित है, किन्तु CTO प्राप्त नहीं हुआ है।

➤ गया :-

- i. बालूघाट संख्या ब्लॉक-18 (गया मोरहर-05) का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07.12.2025 को प्राप्त है तथा CTO प्राप्त है परंतु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
- ii. बालूघाट संख्या ब्लॉक-21 (गया मोरहर-08) का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09.12.2025 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित है, किन्तु CTO प्राप्त नहीं हुआ है।
- iii. बालूघाट संख्या ब्लॉक-23 (गया मोरहर-10) का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07.12.2025 को प्राप्त है। CTO के लिए दिनांक 25.05.2026 को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के समक्ष आवेदन समर्पित है, किन्तु CTO प्राप्त नहीं हुआ है।
- iv. बालूघाट संख्या ब्लॉक-29 (गया मोरहर-16) का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 12.07.2024 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।
- v. बालूघाट संख्या ब्लॉक-32 (गया मोरहर-19) का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07.01.2025 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।
- vi. बालूघाट संख्या ब्लॉक-34 (गया मोरहर-21) का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10.07.2024 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।
- vii. बालूघाट संख्या ब्लॉक-35 (गया मोरहर-22) का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10.07.2024 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।
- viii. बालूघाट संख्या ब्लॉक-36 (गया मोरहर-23) का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.01.2025 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।

➤ जमुई:-

- i. बालूघाट संख्या ब्लॉक-5 डुमरी का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2026 को प्राप्त है। CTO के लिए दिनांक 19.05.2026 को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के समक्ष आवेदन समर्पित है, किन्तु CTO प्राप्त नहीं हुआ है।

➤ वैशाली:—

- i. बालूघाट संख्या वैशाली गंडक-1B का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13.06.2025 को प्राप्त है तथा CTO प्राप्त है, परंतु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

➤ बेगुसराय:—

- i. बालूघाट संख्या बुढ़ी गंडक यूनिट-2 का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 25.02.2025 को प्राप्त है तथा CTO प्राप्त है परंतु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
- ii. बालूघाट संख्या बुढ़ी गंडक यूनिट-4 का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 23.04.2026 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।
- iii. बालूघाट संख्या बुढ़ी गंडक यूनिट-3 का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.05.2026 को प्राप्त है। CTO के लिए आवेदन समर्पित ही नहीं किया गया है।

➤ सीतामढ़ी:—

- i. बालूघाट संख्या यूनिट-3 पनराही घाट का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2026 को प्राप्त है तथा CTO प्राप्त है परंतु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

समीक्षा के क्रम में बालूघाटों का EC प्राप्त होने के बावजूद कतिपय जिलों द्वारा बंदोबस्तधारी से अबतक CTO हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन समर्पित नहीं कराने के कारण क्षोभ व्यक्त किया गया। साथ ही वैशाली जिला के बालूघाट गंडक- 1B का EC दिनांक- 13.06.2025 को निर्गत होने के बावजूद अबतक प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं कराने एवं बालूघाट का संचालन प्रारंभ नहीं होने के संबंध में खनिज विकास पदाधिकारी, वैशाली से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। समीक्षोपरान्त संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निम्न निदेश दिया गया :-

1. CTO प्राप्त बालूघाटों का प्रथम किस्त की राशि का भुगतान 2-3 दिनों के अंदर कराकर एकरारनामा निष्पादित कराते हुए बालूघाट का संचालन प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

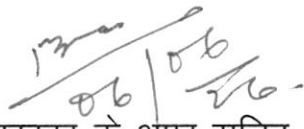
2. जिन बालूघाटों का CTO के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन समर्पित है, किन्तु CTO प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे मामले में सक्षम प्राधिकार, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से समन्वय स्थापित कर लंबित CTO का निष्पादन शीघ्र सुनिश्चित कराये। साथ ही CTO प्राप्त होने के उपरान्त बंदोबस्तधारी से नियमानुसार निर्धारित अवधि में प्रथम किस्त की राशि जमा कराकर एकरारनामा निष्पादित कराते हुए बालूघाट का संचालन प्रारंभ कराये।
3. साथ ही जिन बालूघाटों का CTO के लिए आवेदन ही समर्पित नहीं किया गया है। वैसे बालूघाट के बंदोबस्तधारी को CTO हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष 02 दिनों के अंदर आवेदन समर्पित कराना सुनिश्चित किया जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-
निदेशक,
खान एवं भूतत्व विभाग।

सं0सं0:- विविध (बैठक)-10/2024-.....3655...../एम0, पटना, दिनांक :- 06/06/26

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव/अवर सचिव/विधि पदाधिकारी/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी-I, II/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव